भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं.	229]	दिल्ली, शनिवार, जून 17, 2017/ज्येष्ठ 27, 1939	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 115
No.	229]	DELHI, SATURDAY, JUNE 17, 2017/JYAISTHA 27, 1939	[N.C.T.D. No. 115

भाग—IV

PART-IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

भूमि एवं भवन विभाग

(योजना शाखा)

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 16 जून, 2017

फा. सं. 12(152)/2014/भू.व.भ./एम.पी./योजना/2571.—स्वास्थ्य परिवार नियोजन एवं शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 18011(28)/67—यू.डी. दिनांक 14 फरवरी, 1969 के साथ पठित दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 की 61) की धारा 12 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उप राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उप राज्यपाल एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि निम्नलिखित अनुसूची में वर्णित क्षेत्र उक्त अधिनियम के प्रयोजनों हेतु 'विकास क्षेत्र' होगा :—

अनुसूची

क्र.	विकास क्षेत्र सं.	जोन का नाम	क्षेत्र का विवरण
सं.			
1	2	3	4
1	5 / 2015	जोन 'जे' में	
		गाँव नेब सराय	अन्तर्गत आने वाला क्षेत्रः
		के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र	(i) हरित पट्टी के अंतर्गत अधिसूचित भूमि / गाँव ;
			(ii) निर्मित आबादी क्षेत्र ;
			(iii) गांवों की अधिसूचित लालडोरा आबादी ;
			(iv) अधिग्रहण की कार्यवाही के अंतर्गत जमीन ;

3794 DG/2017 (1)

(v) इस अधिसूचना के जारी करने की तारीख तक, सरकार द्वारा नियमितीकरण के लिए प्रस्तावित अनिधकृत कॉलोनियों के अधीन भूमि;
(vi) भूमि जहां दिल्ली विकास प्राधिकरण या किसी अन्य सरकारी एजेंसी ने अनापत्ति पत्र जारी किया है या जहां किसी भी अन्य सरकारी एजेंसी द्वारा इस योजना के लिए मंजूरी दे दी है इस अधिसूचना के जारी करने की तारीख तक;
(vii) अधिसूचित जंगलों के तहत भूमि / क्षेत्रीय पार्क;
(viii) राजस्व विभाग को हस्तांतरित की गई ग्राम सभा की भूमि;
(ix) केन्द्रीय सरकार की भूमि और अन्य सरकारी भूमि (अनिर्धारित उपयोग सहित);
(x) सरकार की किसी अन्य योजना के तहत भूमि जिसके लिए इस अधिसूचना जारी करने की तिथि तक उक्त अधिनियम की धारा 11 ए के तहत भूमि उपयोग में परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही है ; एंव
(xi) पूर्व-मौजूदा संस्थान जो नियमितीकरण के लिए विचाराधीन है ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

आलोक शर्मा, उप-सचिव

LAND AND BUILDING DEPARTMENT

(Planning Branch)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 16th June, 2017

No. F. 12(152)/2014/L&B/MP/PLG/2571.—In exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 12 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) read with the Government of India, Ministry of Health, Family Planning and Urban Development notification No.18011 (28)/67-UD dated the 14th February, 1969, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby declares the following area described in the Schedule given below to be a "Development Area" for the purposes of the said Act, namely:—

SCHEDULE

Sl.	Development	Name of	Description of Area
No.	Area No.	Zone/Village	
1	2	3	4
1 1.	2 5/2015	Area falling under village Neb Sarai in Zone "J"	Area falling under village Neb Sarai excluding the following area mentioned in clauses (i) to (xi) namely: (i) Land/villages notified under green belt; (ii) Built up abadi areas; (iii) Notified extended laldora abadi of villages; (iv) Land under acquisition proceedings; (v) Land under unauthorized colonies proposed for regularization by the Government, as on the date of issue of this notification; (vi) Land where Delhi Development Authority or any other government agency has issued NOC or where the plan stands approved for development by any other Government agency as on the date of issue of this notification;
			(vii) Land under notified forests / Regional parks;
			(viii) Gram Sabha land transferred to Revenue Department;
			(ix) Central Government and other Government land (including use

		undetermined);
	(x)	Land under any other Scheme of Govt. for which change of land use is under process under section 11A of the said Act as on the date of issue of this notification; and
	(xi)	Pre-existing institutions which are under consideration for regularization.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

ALOK SHARMA, Dy. Secy. (L&B)

दिल्ली, 16 जून, 2017

फा. सं. 12(152)/2014/भू.व.भ./एम.पी./योजना/2572.—स्वास्थ्य परिवार नियोजन एवं शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 18011(28)/67—यू.डी. दिनांक 14 फरवरी, 1969 के साथ पठित दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 की 61) की धारा 12 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उप राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि निम्नलिखित अनुसूची में वर्णित क्षेत्र उक्त अधिनियम के प्रयोजनों हेतु 'विकास क्षेत्र' होगा :—

अनुसूची

क्र. सं.	विकास क्षेत्र सं.	जोन का नाम	क्षेत्र का विवरण
1	2	3	4
1	4 / 2015	जोन 'पी— II' का शहरीकरण योग्य क्षेत्र	खण्ड (i) से (xi) में उल्लेखित निम्नलिखित क्षेत्र को छोड़कर नीचे दी गई 23 गाँवों की सूची के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र :
		No.	(i) हरित पट्टी के अंतर्गत अधिसूचित भूमि / गाँव ;
			(ii) निर्मित आबादी क्षेत्र ;
			(iii) गांवों की अधिसूचित लालडोरा आबादी ;
			(iv) अधिग्रहण की कार्यवाही के अंतर्गत जमीन;
			(v) इस अधिसूचना के जारी करने की तारीख तक, सरकार द्वारा नियमितीकरण के लिए प्रस्तावित अनधिकृत कॉलोनियों के अधीन भूमि;
			(vi) भूमि जहां दिल्ली विकास प्राधिकरण या किसी अन्य सरकारी एजेंसी ने अनापत्ति पत्र जारी किया है या जहां किसी भी अन्य सरकारी एजेंसी द्वारा इस योजना के लिए मंजूरी दे दी है इस अधिसूचना के जारी करने की तारीख तक;
			(vii) अधिसूचित जंगलों के तहत भूमि ;
			(viii) राजस्व विभाग को हस्तांतरित की गई ग्राम सभा की भूमि;
			(ix) केन्द्रीय सरकार की भूमि और अन्य सरकारी भूमि (अनिर्धारित उपयोग सहित);
			(x) सरकार की किसी अन्य योजना के तहत भूमि जिसके लिए इस अधिसूचना
			जारी करने की तिथि तक उक्त अधिनियम की धारा 11 ए के तहत भूमि उपयोग में परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही है ; एवं
			(xi) पूर्व-मौजूदा संस्थान जो नियमितीकरण के लिए विचाराधीन है ।

जोन 'पी- II' के अंतर्गत गाँवों की सूची

- 1. अकबरपुर
- 2. भलस्वा डेरी / जहाँगीरपुरी(जोन सी में कुछ भाग)
- 3. बुराड़ी (जोन ओ में कुछ भाग)
- 4. इब्राहिमपुर (जोन ओ में कुछ भाग)
- 5. झड़ोछा माजरा (जोन ओ में कुछ भाग)
- 6. जीन्दपुर (जोन पी में कुछ भाग)
- 7. कादीपुर
- 8. कमलपुर माजरा
- 9. खामपुर (जोन पी में कुछ भाग)
- 10. मोहम्मदपुर रमजानपुर (जोन ओ में कुछ भाग)
- 11. मुकुन्दपुर (जोन सी में कुछ भाग)
- 12. मुखमेलपुर
- 13. नंगलीपूना (जोन पी में कुछ भाग)
- 14. सलीमपुर माजरा, बुराड़ी (जोन ओ में कुछ भाग)
- 15. मिग्गीपुर (जोन ओ में कुछ भाग)
- 16. फतेहपुर जाट (जोन ओ में कुछ भाग)
- 17. समयपुर (जोन सी में कुछ भाग)
- 18. लिबासपुर (जोन सी में कुछ भाग)
- 19. सिरसपुर (जोन पी में कुछ भाग और जोन सी में कुछ भाग)
- 20. बीजापुर (जोन पी-। में कुछ भाग)
- 21. अलीपुर (जोन पी-। में कुछ भाग)
- 22. टीकरी खुर्द (जोन पी-। में अधिकांश भाग, पी-।। में केवल 3-5 हैक्टेयर)
- 23. गढी खसरो ।

New Delhi, the 16th June, 2017

No. F. 12(152)/2014/L&B/MP/PLG/2572.—In exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 12 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) read with the Government of India, Ministry of Health, Family Planning and Urban Development notification No. 18011 (28)/67-UD dated the 14th February, 1969, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby declares the following area described in the Schedule given below to be a "Development Area" for the purposes of the said Act, namely:—

SCHEDULE

Sl. No.	Development Area No.	Name of Zone	Description of Area
1	2	3	4
1.	4/2015	Urbanisable Area of Zone "P-II"	Area falling under the list of 23 villages given below excluding the following area mentioned in clauses (i) to (xi) namely:— (i) Land/villages notified under green belt; (ii) Built up abadi areas; (iii) Notified extended laldora abadi of villages; (iv) Land under acquisition proceedings; (v) Land under unauthorized colonies proposed for regularization by the Government, as on the date of issue of this notification;
			(vi) Land where Delhi Development Authority or any other government agency has issued NOC or where the plan stands approved for development by any other Government. agency

		as on the date of issue of this notification;
	(vii)	Land under notified forests;
	(viii)	Gram Sabha land transferred to Revenue Department;
	(ix)	Central Government and other Government land (including use undetermined);
	(x)	Land under any other Scheme of Government for which change of land use is under process under section 11A of the said Act as on the date of issue of this notification; and
	(xi)	Pre-existing institutions which are under consideration for regularization.

List of Villages:—

- 1. Akbarpur Majra
- 2. Bhalswa Jahangirpur (Part in Zone C)
- 3. Burari (Part in Zone O)
- 4. Ibrahim Pur (Part in Zone O)
- 5. Jharoda Majra (Part in Zone O)
- 6. Jindpur (Part in Zone P-1)
- 7. KadiPur
- 8. Kamalpur Majra
- 9. Khampur (Part in Zone P-1)
- 10. Mohammadpur Ramjanpur (Part in Zone O)
- 11. Mukundpur (Part in Zone C)
- 12. Mukhmalpur
- 13. Nanglipuna (Part in Zone P-1)
- 14. Saleempur Majra (Part in Zone O)
- 15. Tigipur (Part in Zone O)
- 16. Fatehpur Jat (Part in Zone O)
- 17. Samaypur (Part in Zone C)
- 18. Libaspur (part in Zone C)
- 19. Seeraspur (Part in Zone P-1 & Part in Zone C)
- 20. Bijapur (Part in Zone P-1)
- 21. Alipur (Part in Zone P-1)
- 22. TikriKhurd (Majority in Zone P-1, about only 3-5 Ha in P-II).
- 23. Gadi Khasro.

दिल्ली, 16 जून, 2017

फा. सं. 12(152)/2014/भू.व.भ./एम.पी./योजना/2573.—स्वास्थ्य परिवार नियोजन एवं शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 18011(28)/67—यू.डी. दिनांक 14 फरवरी, 1969 के साथ पठित दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 की 61) की धारा 12 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उप राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि निम्नलिखित अनुसूची में वर्णित क्षेत्र उक्त अधिनियम के प्रयोजनों हेतु 'विकास क्षेत्र' होगा :—

अनुसूची

क्र. सं.	विकास क्षेत्र सं.	जोन का नाम	क्षेत्र का विवरण
1	2	3	4
1	3/2015		खण्ड (i) से (xi) में उल्लेखित निम्नलिखित क्षेत्र को छोड़कर नीचे दी गई 21 गांवों की सूची के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्रः

योग्य क्षेत्र	(i) हरित पट्टी के अंतर्गत अधिसूचित भूमि / गॉव;
	(ii) निर्मित आबादी क्षेत्र ;
	(iii) गांवों की अधिसूचित लालडोरा आबादी ;
	(iv) अधिग्रहण की कार्यवाही के अंतर्गत जमीन;
	(v) इस अधिसूचना के जारी करने की तारीख तक, सरकार द्वारा नियमितीकरण के लिए प्रस्तावित अनिधिकृत कॉलोनियों के अधीन भूमि;
	(vi) भूमि जहां दिल्ली विकास प्राधिकरण या किसी अन्य सरकारी एजेंसी ने अनापत्ति
	पत्र जारी किया है या जहां किसी भी अन्य सरकारी एजेंसी द्वारा इस योजना के लिए मंजूरी दे दी है इस अधिसूचना के जारी करने की तारीख तक;
	(vii) अधिसूचित जंगलों के तहत भूमि ;
	(viii) राजस्व विभाग को हस्तांतरित की गई ग्राम सभा की भूमि;
	(ix) केन्द्रीय सरकार की भूमि और अन्य सरकारी भूमि (अनिर्धारित उपयोग सहित);
	(x) सरकार की किसी अन्य योजना के तहत भूमि जिसके लिए इस अधिसूचना जारी
	करने की तिथि तक उक्त अधिनियम की धारा 11 ए के तहत भूमि उपयोग में
	परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही है ; एवं
	(xi) पूर्व-मौजूदा संस्थान जो नियमितीकरण के लिए विचाराधीन है ।

जोन 'एन' के अंतर्गत गाँवों की सूची

- 1. बाजिदपुर ठाकारां
- 2. नांगल ठाकरां
- 3. बवाना (जोन पी-1 में कुछ भाग)
- 4. पूटखुर्द (जोन एम में कुछ भाग)
- 5. सुल्तानपुर डबास
- 6. सलाहपुर माजरा
- 7. बुद्धनपुर
- ८. कटावड़ा
- 9. जाट खेड़ा
- 10. चॉदपुर
- 11. लाड़पुर
- 12. कंझावला
- 13. कराला (जोन एम में कुछ भाग)
- 14. मदनपुर डबास (जोन एम में कुछ भाग)
- 15. मोहम्मदपुर माजरी (जोन एम में कुछ भाग)
- 16. रानीखेड़ा (जोन एम में कुछ भाग)
- 17. रसुलपुर
- 18. घेवरा (जोन एल में कुछ भाग)
- 19. सवदा
- 20. दरियापुर कलां (जोन पी-1 में कुछ भाग)
- 21. खेड़ाखुर्द (जोन एम में कुछ भाग और जोन पी-1 में कुछ भाग) ।

New Delhi, the 16th June, 2017

No. F. 12(152)/2014/L&B/MP/PLG/2573.—In exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 12 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) read with the Government of India, Ministry of Health, Family Planning and Urban Development notification No. 18011 (28)/67-UD dated the 14th February, 1969, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby declares the following area described in the Schedule given below to be a "Development Area" for the purposes of the said Act, namely:—

SCHEDULE

Sl. No.	Development Area No.	Name of Zone	Description of Area
1	2	3	4
1.	3/2015	Urbanisable Area of	Area falling under the list of 21 villages given below excluding the following area mentioned in clauses (i) to (xi) namely:—
		Zone "N"	(i) Land/villages notified under green belt;
			(ii) Built up abadi areas;
			(iii) Notified extended laldora abadi of villages;
			(iv) Land under acquisition proceedings;
			(v) Land under unauthorized colonies proposed for regularization by the Government, as on the date of issue of this notification;
			(vi) Land where Delhi Development Authority or any other government agency has issued NOC or where the plan stands approved for development by any other Government agency as on the date of issue of this notification;
			(vii) Land under notified forests;
			(viii) Gram Sabha land transferred to Revenue Department;
			(ix) Central Government and other Government land (including use undetermined);
			(x) Land under any other Scheme of Government for which change of land use is under process under section 11A of the said Act as on the date of issue of this notification; and
			(xi) Pre-existing institutions which are under consideration for regularization.

List of Villages:—

- 1. Bazidpur Thakran
- 2. Nangal Thakran
- 3. Bawana (Part in Zone P-1)
- 4. Puath Khurd (Part in Zone M)
- 5. SultanpurDabas
- 6. Salahpur Majra
- 7. Bhudhan Pur
- 8. Katawada
- 9. Jat Khor
- 10. Chandpur
- 11. Ladpur
- 12. Kanjhawla
- 13. Karala (Part in Zone M)
- 14. Madanpur Dabas (Part in Zone M)
- 15. MohdPur Majri (Part in Zone M)
- 16. Rani Khera (Part in Zone M)
- 17. Rasulpur
- 18. Ghewra (Part in Zone L)
- 19. Sawda
- 20. Daryapur Kalan (Part in Zone P-1)
- 21. Khera Khurd (Part in Zone M & Part in Zone P-1).

दिल्ली, 16 जून, 2017

फा. सं. 12(152)/2014/भू.व.भ./एम.पी./योजना/2574.—स्वास्थ्य परिवार नियोजन एवं शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 18011 (28)/67—यू.डी. दिनांक 14 फरवरी, 1969 के साथ पठित दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 की 61) की धारा 12 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उप राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि निम्नलिखित अनुसूची में वर्णित क्षेत्र उक्त अधिनियम के प्रयोजनों हेतु 'विकास क्षेत्र' होगा :—

अनुसूची

क्र. सं.	विकास क्षेत्र सं.	जोन का नाम	क्षेत्र का विवरण
1	2	3	4
1	2/2015	शहरीकरण योग्य	खण्ड (i) से (xi) में उल्लेखित निम्नलिखित क्षेत्र को छोड़कर नीचे दी गई 30 गांवों की सूची के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्रः
		क्षेत्र	(i) हरित पट्टी के अंतर्गत अधिसूचित भूमि / गाँव;
			(ii) निर्मित आबादी क्षेत्र ;
			(iii) गांवों की अधिसूचित लालडोरा आबादी ;
			(iv) अधिग्रहण की कार्यवाही के अंतर्गत जमीन;
			(v) इस अधिसूचना के जारी करने की तारीख तक, सरकार द्वारा
			नियमितीकरण के लिए प्रस्तावित अनधिकृत कॉलोनियों के अधीन भूमि ;
			(vi) भूमि जहां दिल्ली विकास प्राधिकरण या किसी अन्य सरकारी एजेंसी ने
			अनापत्ति पत्र जारी किया है या जहां किसी भी अन्य सरकारी एजेंसी द्वारा
			इस योजना के लिए मंजूरी दे दी है इस अधिसूचना के जारी करने की
			तारीख तक;
			(vii) अधिसूचित जंगलों के तहत भूमि ;
			(viii) राजस्व विभाग को हस्तांतरित की गई ग्राम सभा की भूमि;
			(ix) केन्द्रीय सरकार की भूमि और अन्य सरकारी भूमि (अनिर्धारित उपयोग
			सहित);
			(x) सरकार की किसी अन्य योजना के तहत भूमि जिसके लिए इस अधिसूचना
			जारी करने की तिथि तक उक्त अधिनियम की धारा 11 ए के तहत भूमि
			उपयोग में परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही है ; एवं
			(xi) पूर्व-मौजूदा संस्थान जो नियमितीकरण के लिए विचाराधीन है ।

जोन 'एल' के अंतर्गत गाँवों की सूची

- 1. असालतपुर खवाद
- 2. छावला (जोन के-1 में कुछ भाग)
- 3. दरियापुर खुर्द
- 4. दौलतपुरा
- 5. दिंचाउ कलां (जोन के-1 में कुछ भाग)
- 6. दीनदारपुर (जोन के-1 में कुछ भाग)
- 7. हसनपुर
- ८. हैबतपुर

- 9. जफरपुर कलां
- 10. जफरपुर (हिरनकुंड)
- 11. झुलझुली
- 12. खडखडी जटमल
- 13. खड़खड़ी नहर
- 14. खडखडी रौंद
- 15. खेडा
- 16. खेडा डाबर
- 17. मलिकपुर जेर नजफगढ़
- 18. नजफगढ़ (जोन के-1 में कुछ भाग)
- 19. नीलवाल
- 20. पिण्डावला कलां
- 21. पपरावत
- 22. पिण्डावला खुर्द
- 23. काजीपुर
- 24. रेवला खानपुर
- 25. रोशनपुरा (जोन के-1 में कुछ भाग)
- 26. सारंगपुर
- 27. शम्सपुर खालस
- 28. सुरेहड़ा
- 29. शेरपुर
- 30. उज्वा ।

New Delhi, the 16th June, 2017

No. F. 12(152)/2014/L&B/MP/PLG/2574.—In exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 12 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) read with the Government of India, Ministry of Health, Family Planning and Urban Development notification No. 18011 (28)/67-UD dated the 14th February, 1969, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby declares the following area described in the Schedule given below to be a "Development Area" for the purposes of the said Act, namely:—

SCHEDULE

Sl. No.	Development Area No.	Name of Zone	Description of Area
1	2	3	4
1.	2/2015	Urbanisable Area of Zone "L"	Area falling under the list of 30 villages given below excluding the following area mentioned in clauses (i) to (xi) namely: (i) Land/villages notified under green belt; (ii) Built up abadi areas; (iii) Notified extended laldora abadi of villages; (iv) Land under acquisition proceedings; (v) Land under unauthorized colonies proposed for regularization by the Government, as on the date of issue of this notification; (vi) Land where Delhi Development Authority or any other government agency has issued NOC or where the plan stands approved for development by any other Government agency as on the date of issue of this notification; (vii) Land under notified forests;
			(viii) Gram Sabha land transferred to Revenue Department; (ix) Central Government and other Government land (including use

		undetermined);
	(x)	Land under any other Scheme of Government for which change of land use is under process under section 11A of the said Act as on the date of issue of this notification; and
	(xi)	Pre-existing institutions which are under consideration for regularization.

List of Villages:—

- 1. Asalatpur Khawad
- 2. Chhawla (Part in Zone K-1)
- 3. Daryapur Khurd
- 4. Daulat Pura
- 5. Dichaon Kalan (Part in Zone K-1)
- 6. Dindarpur (Part in Zone K-1)
- 7. Hasanpur
- 8. Haibatpur
- 9. Jafarpur Kalan
- 10. Jaffarpur Hiran Kudna
- 11. Jhuljhuli
- 12. Kharkhari Jatmal
- 13. Kharkhari Nahar
- 14. Kharkhari Rond
- 15. Khaira
- 16. KheraDabar
- 17. Malikpur Zer
- 18. Najafgarh (Part in Zone K-1)
- 19. Neelwal
- 20. Pindwalan Kalan
- 21. Paprawat
- 22. Pindwalan Khurd
- 23. Qazipur
- 24. Rewla Khanpur
- 25. Roshan Pura (Part in Zone K-1)
- 26. Sarangpur
- 27. Samaspur Khalsa
- 28. Surehera
- 29. Sherpur Dairy
- 30. Ujwa.

दिल्ली, 16 जून, 2017

फा. सं. 12(152)/2014/भू.व.भ./एम.पी./योजना/2575.—स्वास्थ्य परिवार नियोजन एवं शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 18011 (28)/67—यू.डी. दिनांक 14 फरवरी, 1969 के साथ पठित दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 की 61) की धारा 12 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उप राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि निम्नलिखित अनुसूची में वर्णित क्षेत्र उक्त अधिनियम के प्रयोजनों हेतु 'विकास क्षेत्र' होगा :—

अनुसूची

क्र. सं.	विकास क्षेत्र सं.	जोन का नाम	क्षेत्र का विवरण
1	2	3	4
1	1 / 2015		खण्ड (i) से (x) में उल्लेखित निम्नलिखित क्षेत्र को छोड़कर नीचे दी गई 20 गांवों की सूची के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्रः—

		(i)	निर्मित आबादी क्षेत्र ;
		(ii)	गांवों की अधिसूचित लालडोरा आबादी ;
	((iii)	अधिग्रहण की कार्यवाही के अंतर्गत जमीन;
		(iv)	इस अधिसूचना के जारी करने की तारीख तक, सरकार द्वारा
			नियमितीकरण के लिए प्रस्तावित अनिधकृत कॉलोनियों के अधीन
			भूमि ;
		(v)	भूमि जहां दिल्ली विकास प्राधिकरण या किसी अन्य सरकारी एजेंसी ने
			अनापत्ति पत्र जारी किया है या जहां किसी भी अन्य सरकारी एजेंसी
			द्वारा इस योजना के लिए मंजूरी दे दी है इस अधिसूचना के जारी करने
			की तारीख तक;
	((vi)	अधिसूचित जंगलों के तहत भूमि ;
	(*	(vii)	राजस्व विभाग को हस्तांतरित की गई ग्राम सभा की भूमि;
	(viii)	केन्द्रीय सरकार की भूमि और अन्य सरकारी भूमि (अनिर्धारित उपयोग
			सहित);
	((ix)	सरकार की किसी अन्य योजना के तहत भूमि जिसके लिए इस
			अधिसूचना जारी करने की तिथि तक उक्त अधिनियम की धारा 11 ए
			के तहत भूमि उपयोग में परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही है ; एवं
		(x)	पूर्व-मौजूदा संस्थान जो नियमितीकरण के लिए विचाराधीन है

जोन 'के-1' के अंतर्गत गाँवों की सूची

- 1. अम्बराइहेरी (द्वारका उपनगर के कुछ भाग)
- 2. बक्करवाला (जोन एल में कुछ भाग)
- 3. बापरोला
- 4. धूलिसरस (जोन एल में कुछ भाग और द्वारका उपनगर में कुछ भाग)
- 5. गोयलाखुर्द (जोन एल में कुछ भाग)
- 6. हस्तसाल (कुछ भाग)
- 7. ककरौला (कुछ भाग)
- 8. कमरूद्दीन नगर
- 9. किराड़ी सुलेमान नगर (कुछ भाग)
- 10. कुतुबपुर
- 11. मसूदाबाद (जोन एल में कुछ भाग)
- 12. मुंडका (जोन एल में एवं रोहिणी उपनगर में कुछ भाग)
- 13. नांगलोई जाट(कुछ भाग)
- 14. नंगली सकरावत (जोन एल में कुछ भाग)
- 15. नवादा माजरा (कुछ भाग)
- 16. निलोटी (कुछ भाग)
- 17. शफीपुर रन्होला
- 18. रजापुर खुर्द

- 19. ताजपुर खुर्द (जोन एल में कुछ भाग)
- 20. तिलंगपुर कोटला ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर, आलोक शर्मा, उप–सचिव (भूमि एवं भवन)

New Delhi, the 16th June, 2017

No. F. 12(152)/2014/L&B/MP/PLG/2575.—In exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 12 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) read with the Government of India, Ministry of Health, Family Planning and Urban Development notification No. 18011 (28)/67-UD dated the 14th February, 1969, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby declares the following area described in the Schedule given below to be a "Development Area" for the purposes of the said Act, namely:—

SCHEDULE

Sl. No.	Development Area No.	Name of Zone	Description of Area
1	2	3	4
1.	2 1/2015	Urbanisable Area of Zone "K-I"	Area falling under the list of 20 villages given below, excluding the following area mentioned in clauses (i) to (x) namely:- (i) Built up abadi areas; (ii) Notified extended laldora abadi of villages; (iii) Land under acquisition proceedings; (iv) Land under unauthorized colonies proposed for regularization by the Government, as on the date of issue of this notification; (v) Land where Delhi Development Authority or any other government agency has issued NOC or where the plan stands approved for development by any other Government agency as on the date of issue of this notification; (vi) Land under notified forests; (vii) Gram Sabha land transferred to Revenue Department; (viii) Central Government and other Government land (including use undetermined); (ix) Land under any other Scheme of Government for which change of land use is under process under section 11A of the said Act as on the date of issue of this notification; and
			(x) Pre-existing institutions which are under consideration for regularization.

List of Villages:—

- 1. Ambrai Heri (Part in Dwarka Sub-city)
- 2. Bakkarwala (Part in Zone L)
- 3. Baprola
- 4. Dhool Siras (Part in Zone L & Part in Dwarka Sub-city).
- 5. Goela Khurd (Part in Zone L)
- 6. Hastsal (Part)
- 7. Kakrola (Part)
- 8. Kamruddin Nagar.
- 9. Kirari Suleman Nagar (Part)
- 10. Qutab Pur.

- 11. Masoodabad (Part in Zone L)
- 12. Mundka (Part in Zone L & Rohini Sub-city)
- 13. Nangloi Jat (Part)
- 14. Nangli Sakrawat (Part in Zone L)
- 15. Nawada Mazara(Part)
- 16. Nilothi (Part)
- 17. Shafipur Ranhola
- 18. Rajapur Khurd
- 19. Tajpur Khurd (Part in Zone L)
- 20. Tilangapur Kotla.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

ALOK SHARMA, Dy. Secy. (L&B)